भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(मेदिनी पुरस्कार योजना)

पर्यावरण एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों जैसे:- (i) पर्यावरण संरक्षण; (ii) प्रदूषण नियंत्रण; (iii) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; (iv) पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और विकास; (v) वन संरक्षण; (vi) वन संसाधन और विकास; (vii) वन्यजीव संरक्षण; (viii) जैव-विविधता; (ix) जलवायु परिवर्तन; (x) प्रकृति और जैवमंडल रिज़र्व का संरक्षण; (xi) पर्यावरण शिक्षा; और (xii) प्रकृति और पर्यावरण संबंधी शीर्षक/विषय आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही "मेदिनी पुरस्कार योजना" को 01 अप्रैल, 2018 से आरंभ करते हुए भारतीय लेखकों से पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है:-

प्रथम पुरस्कार	-	1,00,000/-रू.	(एक)
द्वितीय पुरस्कार	-	75,000/-रू.	(एक)
तृतीय पुरस्कार	-	50,000/-रू.	(एक)
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	25,000/-रू.	(एक)

इस योजना के अंतर्गत उन्हीं पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, जो 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2021 तक पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के दौरान प्रकाशित हुई हों और जिनमें डिमाई आकार के कम से कम 100 मुद्रित पृष्ठ हों। जिन पुस्तकों को लिखने के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा चलाई गई किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो, उन पुस्तकों पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहले से पुरस्कृत पुस्तकों के लेखकों की पुस्तकों पर पुरस्कार के वर्ष से अगले तीन वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा।

इस योजना के तहत कोई भी भारतीय लेखक अपनी पुस्तकें पुरस्कार हेतु विचारार्थ भेज सकता है। संबंधित लेखक कृपया अपनी प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपनी पुस्तक की 07 प्रतियों के साथ 30, अप्रैल, 2021 तक निम्नलिखित पते पर भिजवा दें-

निदेशक (राजभाषा)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं.पी-227, इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड़, अलिगंज, नई दिल्ली-110003

दिनांक 30, अप्रैल, 2021 के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी एवं प्रोफार्मा वेबसाइट http://www.envfor.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

सत्य प्रकाश
निदेशक (राजभाषा)
011-24695446

आवेदन-प्रपत्र
मेदिनी पुरस्कार (वर्ष 2020-21)

1. पुस्तक का नाम - (हिंदी में) ....
   (अंग्रेजी में) ....
   पुस्तक का ISBN नंबर ....
2. (i) लेखक/सहलेखक का नाम - (हिंदी में)..
   (अंग्रेजी में) ....
   (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) ....
   ....
   (iii) मोबाइल नं. .... ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में) ....
3. (i) प्रकाशक का नाम ....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता ....
   ....
   (iii) प्रकाशन का वर्ष ....
4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
   यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें ....
   ....
   (ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में किसी पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां तो वर्ष .... एवं
   पुरस्कार का ब्यौरा ....
5. (क) आधार नं. ....
   (ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :
   (i) जहां बैंक खाता है, उस शाखा का पता (दूरभाष सहित) ....
   ....
   (ii) बैंक खाता संख्या (पूरा) ....
   (iii) आईएफएससी कोड ....
6. मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि
   (i) मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... भारतीय नागरिक हूं।
   (ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है।
   (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।

   मैं वचन देता/देती हूं कि मैं इस पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूंगा/करूंगी ।

स्थान ....

दिनांक ....

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर ....

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Medini Puraskar Yojana)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change under its Medini Puraskar Yojana, starting from 1st April, 2018 for promoting writing of books originally in Hindi on Environment and related subjects such as . (i) Environment Protection; (ii) Pollution Control; (iii) Environmental Impact Assessment; (iv) Ecological Restoration and Development; (v) Forest Conservation; (vi) Forest Resources and Development; (vii) Protection of Wildlife; (viii) Bio-diversity; (ix) Climate Change; (x) Conservation of Nature and Biosphere Reserve; (xi) Environment Education; and (xii) Nature & Environment related topics/subjects etc, invites entries from Indian authors. Cash awards to be given under the scheme are :-

First prize	Rs. 1,00,000/-	(one)
Second prize	Rs. 75,000/-	(one)
Third prize	Rs. 50,000/-	(one)
Consolation prize	Rs. 25,000/-	(one)

Under the said scheme, original books published after 1st April, 2018 to 31 March, 2021 for the last three (03) consecutive years and atleast 100 printed pages of dimai size would be accepted for consideration for awards. Any book which has received any award, subsidy or any financial assistance under any similar scheme, being operated by Government of India or any State Government or any organisation would not be eligible for consideration for the said award. Authors, whose books have already been awarded by the Ministry, would not be eligible for participating under the scheme for the next three years.

Any Indian author may send his entries, duly filled in the prescribed proforma, alongwith seven copies of his/her book, latest by 30th April, 2021 at the following address: -

Director (OL)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Room No.P227,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi-110003.

Entries received after 30th April, 2021 would not be considered. Detailed proforma can be had from website http://www.envfor.nic.in .

Satya Prakash
Director (OL)
011-24695446

Application – Form
Medini Award (Year 2020-21)

1. Title of the book (In Hindi) ....
   (In English) ....
   ISBN Number of the book ....

2. (i) Name of the Author/Co-author (Full Name in Hindi) ....
   (In English)
....
.

   (ii) Full Address (with pincode)
....
.
   ....
   (iii) Mobile No. .... E-mail ID ....

3.(i) Name of the publisher ....
 (ii) Full Address of the publisher ....
 (iii) Year of publishing ....

4. (i) Had the book been awarded by any Government organisation previously? Yes/No
 If yes, please give full details thereof ....
 ....

(ii) Had the author/co-author of the book been awarded under any of the book writing schemes during the preceding three years. If yes, the year .... and full details thereof ....
 ....

5. *(a) Aadhaar No* ....
   (b) please provide compulsorily the following details of Aadhaar Card linked Bank Account:
      (i) Address of the bank branch where you have your Account (with phone no.) : ....
      ....
      (ii) Bank Account No. (Full): ....
      (iii) IFSC Code ....

6. I certify that
   (i) I .... son/daughter of ...., am an Indian citizen.
   (ii) The book has been written originally in Hindi by me.
   (iii) The copyright of any other person is not violated by entering my book in this scheme and I am responsible for the facts and figures given in the book

I Promise to abide by the provisions of the regulations of the Award Scheme.

Place : ....
Date : ....

Signature of Author/Co-author ....

Note 1 : Strike off whichever is not applicable.
Note 2 : In case of Authors being more than one, each co-author shall fill the above proforma separately.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2715] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 2715] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2018

का.आ. 3486(अ).—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय लेखकों को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव, जैव-विविधता और अन्य पर्यावरण संबंधी विषयों पर हिंदी में उनके मौलिक कार्य के लिए पुरस्कार देने की योजना पुन: शुरू की है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नवत हैं :

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की **"मेदिनी पुरस्कार योजना"** होगा और यह पुरस्कार निम्नलिखित विषयों के संबंध में मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए दिया जाएगा :

(i) पर्यावरण संरक्षण;

(ii) प्रदूषण नियंत्रण;

(iii) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन;

(iv) पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और विकास;

(v) वन संरक्षण;

(vi) वन संसाधन और विकास;

(vii) वन्यजीव संरक्षण;

(viii) जैव-विविधता;

(ix) जलवायु परिवर्तन;

(x) प्रकृति और जैवमंडल रिज़र्व का संरक्षण;

(xi) पर्यावरण शिक्षा; और

(xii) प्रकृति और पर्यावरण संबंधी शीर्षक/विषय आदि।

2. उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

इस योजना का उद्देश्य पैरा 1 में उल्लिखित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए भारतीय लेखकों को बढ़ावा देना है। उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय पर पुस्तकें प्रकाशित करने वाले भारतीय लेखक **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। प्रकाशक या अन्य कोई व्यक्ति अथवा संस्थान, लेखक की ओर से **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत पुरस्कार हेतु विचार करने के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तकों की प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. पुरस्कार की राशि

3.1 पुरस्कार के तौर पर प्रशस्ति-पत्र सहित चार (04) पुरस्कार निम्नानुसार दिए जाएंगे :-

पहला पुरस्कार	:	₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र)
दूसरा पुरस्कार	:	₹ 75,000/- (पचहत्तर हज़ार रूपए मात्र)
तीसरा पुरस्कार	:	₹ 50,000/- (पचास हज़ार रूपए मात्र)
प्रोत्साहन पुरस्कार:	:	₹ 25,000/- (पच्चीस हज़ार रूपए मात्र)

उपर्युक्त पुरस्कार विजेता, मंत्रालय से कोई भी अन्य लाभ और/अथवा सहायता का पात्र नहीं होगा।

3.2 यदि, किसी वर्ष विशेष में, यह पाया जाता है कि कोई भी प्रविष्टि उपयुक्त मानक के अनुरूप नहीं है, तो पुरस्कार दिए जाने अथवा अन्यथा के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा।

4. 'मेदिनी पुरस्कार योजना' की मुख्य विशेषताएं

4.1 यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी।

4.2 यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिनांक 01.04.2018 से आरंभ करते हुए प्रचालन में रहेगी।

4.3 पुरस्कार के लिए लगातार पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के दौरान हिंदी में मौलिक रूप में प्रकाशित पात्र पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पुस्तक में कम से कम 100 (एक सौ) मुद्रित पृष्ठ हों।

4.4 **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपनी वेबसाइट : www.envfor.nic.in और/अथवा हिंदी और अंग्रेजी के मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में नोटिस के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित करेगा।**

5. मूल्यांकन समिति

5.1. **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत विचार करने हेतु प्रस्तुत पुस्तकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली अपर सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में और पैरा 1 में उल्लिखित विषय में विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त सचिव/समकक्ष पद तक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

5.2 मूल्यांकन समिति अपनी संस्तुति सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उनके अनुमोदन अथवा अन्यथा प्रस्तुत करेगी, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.3 यदि मूल्यांकन समिति के किसी सदस्य की स्वयं की लिखी पुस्तक **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत पुरस्कार हेतु सम्मिलित हो, तो वह व्यक्ति मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा/होगी।

5.4 मूल्यांकन समिति के सदस्यों के नाम और अन्य विवरण गोपनीय रखे जाएंगे।

6. **पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया**

6.1 ऐसी कोई पुस्तक जिसे भारत सरकार, किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी सांविधिक/निजी निकाय द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार, सहायिकी अथवा कोई अन्य सहायता प्रदान की गई हो, तो उस पुस्तक पर **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(क) किसी भी लेखक को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

(ख) चयनित पुस्तकों की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर खरीद हेतु सिफारिश की जाएगी।

6.2 जिन लेखकों की पुस्तकों को **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** के अंतर्गत गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वे इसमें भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

6.3 मूल्यांकन समिति के विचारार्थ अनिवार्यत: उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित विषय पर मूल रूप में हिंदी में लिखी गई पुस्तकों की सात (07) प्रतियां भेजी जानी अपेक्षित हैं, जिन्हें लौटाया नहीं जाएगा। तथापि, लेखक एक पुस्तक का प्रतिपूर्ति मूल्य प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी। पैरा 1 में उल्लिखित विषय के अलावा अन्य पुस्तकों के लिए किसी प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. **सामान्य**

7.1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी **'मेदिनी पुरस्कार योजना'** में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का मूल्यांकन उन्हें उपलब्ध विशेष सुविधाओं के संदर्भ में किया जाएगा।

7.2 उक्त योजना में भाग लेने की इच्छा रखने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को 'मेदिनी पुरस्कार योजना' के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचारार्थ प्रविष्टियों को प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमति प्राप्त करनी होगी।

7.3 पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक का प्रतिलिप्याधिकार, लेखकों/प्रकाशकों के पास ही रहेगा।

7.4 पुरस्कारों के वितरण के लिए निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थानों से आने वाले पुरस्कार विजेताओं को आने और जाने के लिए द्वितीय एसी के किराए का भुगतान किया जाएगा तथा उन्हें अपने व्यय पर लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

7.5 यह योजना प्रत्येक वर्ष जारी रहेगी। तथापि, प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए मंत्रालय द्वारा इस योजना को जारी रखने के संबंध में समीक्षा की जाएगी।

7.6 किसी पुस्तक के चयन हेतु पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

7.7 पुरस्कारों के संबंध में मुकदमेबाज़ी, यदि कोई हो, के मामले में सुनवाई नई दिल्ली में होगी।

7.8 **यदि यह पूर्णत: अनिवार्य हो अथवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विचार से ऐसा करना समीचीन हो तो तत्संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अथवा मंत्रालय की वेबसाइट (www.envfor.nic.in) के माध्यम से उपरोक्त किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।**

[सं. ई-11014/23/2017-रा.भा.(का.)]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RESOLUTION

New Delhi, the 9th July, 2018

S.O. 3486(E).—Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, with a view to promote original writing of books in Hindi, have reintroduced the scheme for awards to Indian authors for their original work in Hindi on the subjects relating to Environment, Forest, Climate Change, Wildlife, Bio-diversity and other environment related topics. The main features of the scheme are as under :

1. **TITLE OF THE SCHEME**

The scheme shall be known as **'MEDINI PURASKAR YOJANA'** of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change and is for writing books originally in Hindi on the subjects relating to :

(i) Environment Protection;

(ii) Pollution Control;

(iii) Environmental Impact Assessment;

(iv) Ecological Restoration and Development;

(v) Forest Conservation;

(vi) Forest Resources and Development;

(vii) Protection of Wildlife;

(viii) Bio-diversity;

(ix) Climate Change;

(x) Conservation of Nature and Biosphere Reserve

(xi) Environment Education; and

(xii) Nature & Environment related topics/subjects etc.

2. **OBJECTIVE AND SCOPE**

The objective of the scheme is to encourage Indian authors to write books originally in Hindi on the subject referred in para 1. Indian authors who publish books on any of the above subjects are eligible to participate in **'MEDINI PURASKAR YOJANA'**. The publisher or any other person or institution, on behalf of the author can offer entries of original books in Hindi for consideration of award under the **'MEDINI PURASKAR YOJANA'**.

3. **AMOUNT OF AWARD**

3.1 There shall be four (04) awards with a citation as under :

First Prize	:	Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh only)
Second Prize	:	Rs. 75,000/- (Rupees Seventy five thousand only)
Third Prize	:	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only)

Consolation Prize: Rs. 25,000/- (Rupees Twenty five thousand only)

The winner of an award as above shall not be entitled to claim any other advantage and/or assistance from the Ministry.

3.2 If, in any year, it is found that there are no entries of appropriate standard, the decision of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with regard to conferring award(s) or otherwise shall be final.

4. **SALIENT FEATURES OF 'MEDINI PURASKAR YOJANA'**

4.1 The scheme shall be administered by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

4.2 The scheme shall be operational for each financial year commencing from 01.04.2018.

4.3 Eligible original published work in Hindi during last three (03) consecutive financial years shall be considered for award, provided the book contains at least 100 (One hundred) printed pages.

4.4 **Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be inviting entries through a notice placed on its website : www.envfor.nic.in and/or advertisement in leading Hindi and English dailies.**

5 **EVALUATION COMMITTEE**

5.1 Books submitted for consideration under **'MEDINI PURASKAR YOJANA'** shall be assessed by an Evaluation Committee to be constituted by the Ministry under the Chairmanship of Additional Secretary to the Government of India and other Senior Officers not below the rank of Joint Secretary/equivalent and having expertise in the subject mentioned in para 1.

5.2 The Evaluation Committee shall submit its recommendations to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change for his/her approval or otherwise, whose decision shall be final and binding.

5.3 If any member of Evaluation Committee has authored the book sent for consideration under **'MEDINI PURASKAR YOJANA'** shall cease to continue in the Evaluation Committee.

5.4 The names and other particulars of the Members of the Evaluation Committee shall be confidential.

6. **PROCEDURE FOR SELECTION OF AWARDEES**

6.1 Any book which has received any award, subsidy or any other assistance under any scheme operated by Government of India, any State/Union Territory Government, Public Sector Undertaking or any Statutory/Private Body shall not be considered for award under **'MEDINI PURASKAR YOJANA'**.

(a) No author shall be awarded more than one prize for one financial year.

(b) The books selected shall be recommended for purchase in the library of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its attached offices on need basis.

6.2 The authors whose books have been awarded during previous three financial years under **'MEDINI PURASKAR YOJANA'** shall not be eligible to participate.

6.3 Seven (07) copies of the books originally written in Hindi strictly on the subject referred in para 1 above, shall be required to be sent for consideration of the Evaluation Committee, which will not be returned. However, the author shall be entitled to get the price of one copy of the book reimbursed and remaining six copies shall be returned to the author(s). No reimbursement shall be made for the books beyond the subject mentioned in para 1.

7. **GENERAL**

7.1 Officers and Employees of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change and its Subordinate offices etc. under its administrative control are also eligible to participate in **'MEDINI PURASKAR YOJANA'** but the books written by them shall be judged with reference to special facilities available to them.

7.2 Other Government servants who wish to participate in the said scheme shall have to obtain necessary permission from the Competent Authority concerned for receipt of award under **'MEDINI PURASKAR YOJANA'**, before submission of the entries for consideration.

7.3 Copyright on the award winning book will remain with the Author(s)/Publisher(s).

7.4 Awardees coming from the places other than the place fixed for distribution of award(s) will be paid to and fro 2nd AC fare and they will have to make their own arrangement for lodging and boarding at their own expense.

7.5 The scheme shall be a regular annual feature. However, depending on the response, the continuity of the scheme may be reviewed by the Ministry.

7.6 No correspondence regarding conferment of the award for selection of a book shall be entertained.

7.7 In case of litigation with regard to award(s), if any, its jurisdiction shall be New Delhi.

7.8 **If it is absolute necessary or expedient in the opinion of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to do so, documenting the reason(s) thereof, any of the above provisions may be relaxed by issuing a Notification in the Gazette of India and through the website (www.envfor.nic.in) of the Ministry.**

[No. E-11014/23/2017-OL(Impl.)]

Dr. SATISH CHANDRA GARKOTI, Scientist 'G'

Uploaded by Dtc. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.20 10:52:03 +05'30'